

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर


आज्ञा

कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 339 / 2023 दिनांक : 03.02.2023

श्रीमती नीतू आर्य (RJ0447), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सोजत (पाली) को दिनांक 20.02.2023 से 24.02.2023 तक 05 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 18.02.2023 से 19.02.2023 एवं 25.02.2023 से 26.02.2023 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्रीमती आर्य की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली/वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोजत (पाली) इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सोजत (पाली) के पद पर ही होने की संभावना है ।


आज्ञा से

02-02-2023
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:—स्था.बी.2(4)/80/2002/818

दिनांक 03.02.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली को उनके पत्रांक 371 दिनांक 24.01.2023 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती नीतू आर्य (RJ0447), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सोजत (पाली) ।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सोजत (पाली) ।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली ।
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोजत (पाली) ।


सहायक रजिस्ट्रार